अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	
19.8.23	अभिलेख उपस्थापित।	

(1.) अशोक राम एवं (2.) फुदुन राम दोनों के पिता स्व0 पन्नु राम, निवास स्थान ग्राम-अमृतनगर कर्वेकला, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-मंझलीकर्वे, थाना संख्या-174, खाता संख्या-67, प्लॉट संख्या-172, रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि शीला देवी पति जागेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-अमनारी, पोस्ट-झरपो, थाना-ईचाक, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदकगण एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-102/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 320/रा0 दिनांक 21.01.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1862 दिनांक 21.11.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत शिवा भुइंया हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 1.35 एकड़ भूमि है। पंजी-।। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.5850 एकड़ भूमि है। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-109/I पर रमन भुइंया एवं शिवा भुइंया के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत् है। आवेदकगण के छरनाना जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदकगण घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते मे रकवा 0.4250 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

आदेश कार्रवाई टिप्पणी

सं०-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

प्रश्नगत् भूमि के बिक्री अनुमति के क्रम में श्री अशोक राम पिता स्व0 श्यामलाल राम, ग्राम-कर्वेकला, अमृतनगर, सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी। आपत्ति के आलोक में उभय पक्ष की उपस्थिति में सुनवाई की गयी। आवेदकगण एवं आपत्तिकर्ता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से समझौतानामा दाखिल किया गया एवं आपत्तिकर्ता द्वारा शपथ-पत्र दाखिल कर उनके द्वारा दाखिल किये गये आपत्ति को निरस्त करते हुए बिक्री अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा एवं दाखिल समझौतानामा के आधार पर (1.) अशोक राम एवं (2.) फुदुन राम दोनों के पिता स्व0 पन्नु राम, निवास स्थान ग्राम-अमृतनगर कर्वेकला, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-मंझलीकर्वे, थाना संख्या-174, खाता संख्या-67, प्लॉट संख्या-172, रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि शीला देवी पति जागेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-अमनारी, पोस्ट-झरपो, थाना-ईचाक, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.08.22 15:48:59 +05:30
Location: 192.168.0.102